

JDA/DC-12/07/1575

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 114वीं बैठक दिनांक 18.04.2007 में लिये गये निर्णय

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव
1	114.1	कार्यकारी समिति की 113 वीं बैठक दिनांक 15.03.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श परचात सर्वसम्मति से प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
2	114.2	मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विष्णुपुरी के भूस 3 क्षेत्रफल 393.33 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्री कमल सिंह नाहटा)	विचार विमर्श परचात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मित्र गृह निर्माण सहकारी सोसायटी रोड पर स्थित है उस रोडवर रात को ट्रक कोल करने, वाहन पार्किंग, मजदूरी, मजदूर घोषणा में भी है। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
3	114.3	डेयरी योजनाओं में भूखण्डों में देरी से जमा राशि का अनुमोदन वास्तु।	विचार विमर्श परचात सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन विचार समिति प्रकरण में राशि 2 वर्ष से अधिक की देरी से जमा होने के कारण का सरकार की स्वीकृति हेतु निजवादा जाये।
4	114.4	प्रताप नगर हा. को सोसायटी की योजना प्रताप नगर रकीम नं-1 खातीपुरा जयपुर के भूखण्ड स. 3 क्षेत्रफल 388.88 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्री शोकत खा)	विचार विमर्श परचात प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण द्वारा नगर अनुमोदन किये जाने का निर्णय लेने के समुचित पार्किंग का ध्यान रखा जाये। यह एक महत्वपूर्ण रोड है किसे रोड पर वाणिज्यिक निर्माण में पार्किंग की समुचित व्यवस्था में ध्यान रखा जाये।
5	114.5	जोन-2 क्षेत्र में सडक रिपेयरिंग एवं सिन्क्राल का कार्य।	विचार विमर्श परचात सर्वसम्मति से जानवर अयोग्यता कोन-2 में सडक पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
6	114.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा बास गोनेर तहसील चाकशू के खसरा नं. 432, 433, 442, 525, 434, 523, 524 कुल कित्ता 7 रकबा 6.60 है, ग्राम नाहरियो का बास के ख. नं. 710 से 712 कित्ता 3 रकबा 2.43 है, ग्राम घोसला के ख.नं. 839 कित्ता 1 रकबा 0.42 है, ग्राम जयमानमोहनपुरा उर्फ मलवा के ख.नं. 113, 114 कित्ता 2 रकबा 0.16 है, ग्राम चन्दलाई के ख.नं. 3019, 2974, 6187/6679, 6187/6717, 6259 से 6262, 2819, 2826, 2829, 2830, 2831/6413, 2921, 2922, 2931, 2932 कित्ता 17 रकबा 4.51 है पांच ग्रामों के कुल कित्ता 30 रकबा 14.12 है भूमि में से ग्राम चन्दलाई के ख.नं. 6187/6679 एवं 6187/6717 जो कि गै.मु. रेलवे की है। अतः इनको छोड़ते हुये शेष 13.28 है भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री रामकृष्ण बिल्डकॉन एवं आशीष बिल्डकॉन)	विचार विमर्श परचात सर्वसम्मति से प्रस्ताव ग्राम रामपुरा बास गोनेर तहसील चाकशू के खसरा नं. 432, 433, 442, 525, 434, 523, 524 कुल कित्ता 7 रकबा 6.60 है, ग्राम नाहरियो का बास के ख. नं. 710 से 712 कित्ता 3 रकबा 2.43 है, ग्राम घोसला के ख.नं. 839 कित्ता 1 रकबा 0.42 है, ग्राम जयमानमोहनपुरा उर्फ मलवा के ख.नं. 113, 114 कित्ता 2 रकबा 0.16 है, ग्राम चन्दलाई के ख.नं. 3019, 2974, 6187/6679, 6187/6717, 6259 से 6262, 2819, 2826, 2829, 2830, 2831/6413, 2921, 2922, 2931, 2932 कित्ता 17 रकबा 4.51 है पांच ग्रामों के कुल कित्ता 30 रकबा 14.12 है भूमि में से ग्राम चन्दलाई के ख.नं. 6187/6679 एवं 6187/6717 जो कि गै.मु. रेलवे की है। अतः इनको छोड़ते हुये शेष 13.28 है भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।
7	114.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जमवारामगढ तह. जमवारामगढ के ख.न. 672/1 रकबा 1 बीघा अर्थात 2529.2 वर्ग मी. भूमि में से सडक सीमा में आने वाली 894.90 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करते हुये शेष 1634.30 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग रिक्रेशनल से संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श परचात सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम जमवारामगढ जमवारामगढ के ख.न. 672/1 रकबा 1 बीघा अर्थात 2529.2 वर्ग मी. भूमि में से सडक सीमा में आने वाली 894.90 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करते हुये शेष 1634.30 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग रिक्रेशनल से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

		पकवाज म दिनांक 28.2.1990 से 31.12.98 तक एक मुंशी का पद सृजन बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण की पुनः जांच वित्त प्रकोष्ठ से कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9	114.9	श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार की प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष पश्चात् 1 वर्ष अर्थात् दिनांक 11.12.2006 से 10.12.2007 तक बढ़ाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री राजकुमार मोदी, कनिष्ठ लेखाकार की प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष पश्चात् 1 वर्ष अर्थात् दिनांक 11.12.2006 से 10.12.2007 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
10	114.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीदड तहसील आमेर के खसरा नं. 534, 537, 540, 548, 536, 538, 539, 544, 547, 351, 356, 362, 363, 368, 410, 412, 413, 422, 423, 424, 425, 342, 361, 364, 365, 369, 411, 350, 359, 3512, 353, 354, 355, 358, 360, 366, 367, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 426, 427, 428, 6, 15, 20, 28 कुल किता 52 रकबा 22.85 है० में से ख. नं. 15, 20 व 28 को रास्ता न मिलने के कारण इन्हें छोड़ते हुये शेष 21.96 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (लोटस विस्टेक)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नीदड तहसील आमेर के खसरा नं. 534, 537, 540, 548, 536, 538, 539, 544, 547, 351, 356, 362, 363, 368, 410, 412, 413, 422, 423, 424, 425, 342, 361, 364, 365, 369, 411, 350, 359, 3512, 353, 354, 355, 358, 360, 366, 367, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 426, 427, 428, 6, 15, 20, 28 कुल किता 52 रकबा 22.85 है० में से ख. नं. 15, 20 व 28 को रास्ता न मिलने के कारण इन्हें छोड़ते हुये शेष 21.96 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	
11	114.11	जविप्रा स्वामित्व की राजस्व ग्राम अचरोल तहसील आमेर के ख.नं. 587 व 590 किता 2 में से रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा (12 एकड) भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम अचरोल तहसील आमेर के ख.नं. 587 व 590 किता 2 में से रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा (12 एकड) भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	
12	114.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर के ख. नं. 887, 891, से 895, 927 से 931 कुल किता 11 रकबा 4.86 है० अर्थात् 48600 व. मी. भूमि में से सडक सीमा में आने वाली 1394.00 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 47206 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (गुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (आर्ट एज. प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर के ख. नं. 887, 891, से 895, 927 से 931 कुल किता 11 रकबा 4.86 है० अर्थात् 48600 व.मी. भूमि में से सडक सीमा में आने वाली 1394.00 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 47206 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (गुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
13	114.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम राजावास तहसील आमेर के ख.नं. 251, 254 से 261, 610, 613 से 619 कुल किता 17 रकबा 15 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (साहित्य सदावर्त समिति)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम राजावास तहसील आमेर के ख.नं. 251, 254 से 261, 610, 613 से 619 कुल किता 17 रकबा 15 है० भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-12	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट	
14	114.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम गोवर्धन पुरा तहसील चाकसू के ख.नं. 264, 265/1, 266/1, 250/2, 261/2, 138, 230/1, 231 से 235, 139 से 142, 262, 263, 277 से 291, 301 से 306, 293/310, 147, 170, 189, 190 किता 44 रकबा 12.26 है 0 एवं ग्राम रामपुरा बास, गोनेर तहसील चाकसू के ख.नं. 588 से 596 किता 9 रकबा 2.86 है 0 कुल भूमि 15.12 है 0 का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती गंगादेवी पति श्री गंगाराम बैगेरह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम गोवर्धन पुरा तहसील चाकसू के ख.नं. 264, 265/1, 266/1, 250/2, 261/2, 138, 230/1, 231 से 235, 139 से 142, 262, 263, 277 से 291, 301 से 306, 293/310, 147, 170, 189, 190 किता 44 रकबा 12.26 है 0 एवं ग्राम रामपुरा बास, गोनेर तहसील चाकसू के ख.नं. 588 से 596 किता 9 रकबा 2.86 है 0 कुल भूमि 15.12 है 0 का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
15	114.15	विद्याघर नगर की 60 मीटर चौड़ी सड़क का सोन्दर्यकरण का कार्य।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता जोन-2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	जोनल अभियन्ता-2	
16	114.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मानपुर उर्फ नागल्या तहसील सांगानेर के ख.नं. 202 रकबा 1.32 है 0 में से सड़क सीमा में आ रही 1763.12 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 11324.38 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (घुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नाथूलाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पुनः जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में यह भी सुनिश्चित किया जावे की आवेदक द्वारा आवासीय उपान्तरण चाहा गया है या व्यावसायिक।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
17	114.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर के ख. नं. 74, 75 कुल किता 2 रकबा 0.97 है 0 अर्थात् 9662.53 व.मी. भूमि में से सड़क सीमा में आ रही 5950.94 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 3711.59 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (सन्तोष देवी अग्रवाल पति श्री गोरीशंकर अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम प्रहलादपुरा तहसील सांगानेर के ख. नं. 74, 75 कुल किता 2 रकबा 0.97 है 0 अर्थात् 9662.53 व.मी. भूमि में से सड़क सीमा में आ रही 5950.94 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 3711.59 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
18	114.18	मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति न्यू सांगानेर बाईपास योजना के भू.सं. ए.स. एम. 13,(14,58), (15,57), (16,58), (17,55), (17ए), (18,54), (19,53), (20,52), (21,51), (22,50), (59ए, 60, 61) क्षेत्रफल 6449.63 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कामर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने के संबंध में। (फाईन जेम्स एक्सपोर्ट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री दामोदर जीहर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति न्यू सांगानेर बाईपास योजना के भू.सं. ए.स.ए.म. 13,(14,58), (15,57), (16,58), (17,55), (17ए), (18,54), (19,53), (20,52), (21,51), (22,50), (59ए, 60, 61) क्षेत्रफल 6449.63 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कामर्शियल एवं जनरल बिजनेस) किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-5	
19	114.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम भाकरोटा तहसील सांगानेर के ख.नं. 3018/1503, 1503 कुल किता 2 रकबा 0.225 है 0 भूमि में से सड़क सीमा में आ रही 184.24 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 1495.76 व.मी. भूमि का भू-उपयोग आवासीय एवं मिश्रित से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती धन्वी देवी पति श्री रामनाथ चौधरी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि को मास्टर प्लान में मिश्रित भू-उपयोग दर्शाया हुआ है। भूमि 60 फीट चौड़ी रोड पर स्थित होने के कारण पूर्णतया व्यावसायिक किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
32	114.32	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 672 रकबा 0.05 है 0 ख.नं. 673 रकबा 0.27 है 0 किता 2 कुल रकबा 0.32 है 0 में से 200 फीट सड़क में आने वाली 1173.58 व.मी. जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 2025.33 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती आशा पालीवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामपुरा उर्फ कवरपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 672 रकबा 0.05 है 0 ख.नं. 673 रकबा 0.27 है 0 किता 2 कुल रकबा 0.32 है 0 में से 200 फीट सड़क में आने वाली 1173.58 व.मी. जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 2025.33 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
33	114.33	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बीड खातीपुरा तहसील जयपुर के ख.नं. 92/1 क्षेत्रफल 20751.25 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री इन्द्र विजय सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्वीस रोड महत्वपूर्ण सड़क होने के कारण यदि प्रार्थी अपनी इस भूमि में से सड़क हेतु नि:शुल्क 30 फीट भूमि छोड़ने को तैयार हो तो प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
34	114.34	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम जाहोता तहसील आमर के ख.नं. 1894 व 1895 किता 2 रकबा 0.76 है 0 अर्थात् 7600 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री जोगेन्द्र सहाय)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम जाहोता तहसील आमर के ख.नं. 1894 व 1895 किता 2 रकबा 0.76 है 0 अर्थात् 7600 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
35	114.35	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चिमनपुरा तहसील आमर के ख.नं. 72, 104, 106 से 110, 112 व 113 कुल किता 9 कुल रकबा 2.21 है 0 अर्थात् 26432 वर्ग गज में से सर्वे मेप अनुसार खसरा सुपर ईम्पोज करने पर मौके पर प्राप्त 25155 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग ईकोलोजिकल से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री रणजीत बीरानी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चिमनपुरा तहसील आमर के ख.नं. 72, 104, 106 से 110, 112 व 113 कुल किता 9 कुल रकबा 2.21 है 0 अर्थात् 26432 वर्ग गज में से सर्वे मेप अनुसार खसरा सुपर ईम्पोज करने पर मौके पर प्राप्त 25155 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग ईकोलोजिकल से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
36	114.36	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हसनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 279 रकबा 0.54 है 0 में से 0.05 है 0, ख.नं. 280 रकबा 0.28 है 0 में से 0.26 है 0, ख.नं. 281 रकबा 0.22 है 0 में से 0.08 है 0, ख.नं. 282 रकबा 1.34 है 0 सम्पूर्ण ख.नं. 283 रकबा 0.37 है 0 सम्पूर्ण ख.नं. 284 रकबा 0.02 है 0, सम्पूर्ण ख.नं. 288/371 रकबा 0.37 रकबा 0.20 है 0 में से 0.10 है 0 कुल रकबा 2.22 है 0 रिग रोड की अवधि में आता है को छोड़ते हुये शेष ख.नं. 258/2 रकबा 0.26 है 0 ख.नं. 272/2 रकबा 0.32 है 0 ख.नं. 273/2 रकबा 0.14 है 0 ख.नं. 274/2 रकबा 0.15 है 0 ख.नं. 275 रकबा 0.02 है 0 ख.नं. 276/2 रकबा 0.18 है 0 ख.नं. 277 रकबा 0.33 है 0 ख.नं. 278 रकबा 0.03 है 0 ख.नं. 279 में से रकबा 0.49 है 0 ख.नं. 280 में से रकबा 0.02 है 0 ख.नं. 281 में से रकबा 0.14 है 0 ख.नं. 283/371 में से रकबा 0.10 है 0 ख.नं. 258/1 रकबा 0.08 है 0 ख.नं. 272/1 रकबा 0.08 है 0 ख.नं. 273/1 रकबा 0.04 है 0 ख.नं. 274/1 रकबा 0.34 है 0 ख.नं. 276/1 रकबा 0.04 है 0 कुल किता 17 रकबा 2.44 है 0 में से 667 व.मी. सड़क के रकबे को छोड़ते हुए शेष रकबा 23733 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्री. सिद्धर हन रिपोर्ट प्राप्ति.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम हसनपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 279 रकबा 0.54 है 0 में से 0.05 है 0, ख.नं. 280 रकबा 0.28 है 0 में से 0.26 है 0, ख.नं. 281 रकबा 0.22 है 0 में से 0.08 है 0, ख.नं. 282 रकबा 1.34 है 0 सम्पूर्ण ख.नं. 283 रकबा 0.37 है 0 सम्पूर्ण ख.नं. 284 रकबा 0.02 है 0, सम्पूर्ण ख.नं. 288/371 रकबा 0.37 रकबा 0.20 है 0 में से 0.10 है 0 कुल रकबा 2.22 है 0 रिग रोड की अवधि में आता है को छोड़ते हुये शेष ख.नं. 258/2 रकबा 0.26 है 0 ख.नं. 272/2 रकबा 0.32 है 0 ख.नं. 273/2 रकबा 0.14 है 0 ख.नं. 274/2 रकबा 0.15 है 0 ख.नं. 275 रकबा 0.02 है 0 ख.नं. 276/2 रकबा 0.18 है 0 ख.नं. 277 रकबा 0.33 है 0 ख.नं. 278 रकबा 0.03 है 0 ख.नं. 279 में से रकबा 0.49 है 0 ख.नं. 280 में से रकबा 0.02 है 0 ख.नं. 281 में से रकबा 0.14 है 0 ख.नं. 283/371 में से रकबा 0.10 है 0 ख.नं. 258/1 रकबा 0.08 है 0 ख.नं. 272/1 रकबा 0.08 है 0 ख.नं. 273/1 रकबा 0.04 है 0 ख.नं. 274/1 रकबा 0.34 है 0 ख.नं. 276/1 रकबा 0.04 है 0 कुल किता 17 रकबा 2.44 है 0 में से 667 व.मी. सड़क के रकबे को छोड़ते हुए शेष रकबा 23733 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति हेतु प्रकरण 1000 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

411

जयपुर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी समिति की 114वां बैठक दिनांक 18.04.07 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मथन' में श्री डा. बा. गुप्ता, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री शिव कुमार शर्मा	शासन उप सचिव-प्रथम	नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य के प्रतिनिधि
2	श्री जी. एल. गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्रीमती कोमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस.सी. महागायकर	निदेशक (आयोजना) एच.टी. पी. एम. पी.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री जे.आर. भादु	अतिरिक्त कलेक्टर (शहर)	कलेक्टर, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7	श्री आर.एस. राठौड़	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री विनोद अजमेरा	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री आर.एस. शर्मा	टी.ए.टु.एस.ई	पी.ए.व.ई.डी.	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री ए.एस. गुप्ता	अधिराशी अभियन्ता एवं टी.ए	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री एम.सी. अग्रवाल	जोनल अभियन्ता (सी.डी.-4)	जे.वी.डी.एन.एल, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्रीमति अनुप्रिया	कमिश्नर (रेव्यू)	नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
13				

अन्य अधिकारी उपस्थित

14	श्री रामनिवास मीणा	अति.आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	सुश्री रेखा गुप्ता	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री मातादीन शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री ज्ञानाराम	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री सी.एम.अग्रवाल	ओएसडी (आरएम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री ईकबाल खान	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री एल.आर. तोसावडा	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री अरुण गर्ग	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री गिराज अग्रवाल	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री निरज तिवाड़ी	एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24	श्री टी.के. शर्मा	जोनल अभियन्ता जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25	श्री प्रभात गोस्वामी	जनसम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

4/4

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक:

28/4/07

4/5

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2006/1575
तिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

स.	पद	विभाग का नाम
	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
	महापौर	जयपुर नगर निगम।
	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
0.	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
2.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
3.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
5.	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6.	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7.	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम /प्रशासन/एल.पी.सी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।